आर.ई.ओ.—83

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2651313

क्रमांकः– प्रनि/जोविविनिलि/अनु–पीपीएम/पत्रा०सामान्य /प्रे०सं० 855 जोधपुर,दिनांक 19/8/04

आदेश

विषयः– कृषि के पुराने कटे हुये कनेक्शन को पुनः चालू करने के संबंध मे।

****

नई कृषि नीति के क्लॉज नम्बर 27 मे यह निर्देशित किया गया है कि कृषि श्रेणी मे 2 साल से ज्यादा कटे हुये कनेक्शनो को नही जोडा जायेगा। इस संबंध मे विभिन्न फील्ड अधिकारियों द्वारा यह जानकारी चाही गई है कि इस तरह के दिशा निर्देश नई कृषि नीति जारी होने से पहले कटे हुये कनेक्शनों पर भी लागू होगे अथवा नही।

इस सबंध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन कृषको ने पूर्व में कटे हुये कनेक्शनों को पुनः उसी स्थान पर चालू किये जाने के लिये 30 जून 2004 तक आवेदन कर दिया है, उन पर उक्त दिशा निर्देश प्रभावी नही होगे तथा ऐसे मामलो मे पॉच साल तक पुनः चालू करने की सुविधा पुर्ववतः नियमानुसार जारी रहेगी।

पुनः विद्युत सबंध जुडवाने की राशि का निर्धारण नई कृषि नीति 2004 के अनुसार किया जायेगा।

19.8.04
{आर.एस.चौधरी}
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।